रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 201] नई दिल्ली, शनिवार, मई 16, 1981/वैसाख 26, 1903
No. 201] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 16, 1981/VAISAKHA 26, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## उद्योग मंत्रालय

## (औद्योगिक विकास विभाग)

## आदेश

नई दिल्ली, 16 मई, 1981

**का. आ. 371 (अ)**.—केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-चक्ष की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 354 (अ), तारीख 25 मई, 1978 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) घोषित किया था कि 25 मई, 1978 से ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति हस्तान्तरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का प्रवर्तन, जिनका बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम या ऐसे उपक्रम का स्वामित्व रखने वाली एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू हों, 18 मई, 1979 तक निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत सभी अधिकार, विशेषाधिकार और दायित्व उक्त अवधि तक निलम्बित रहेंगे ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 166 (अ), तारीख 19 मार्च, 1979 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 17 मई, 1980 तक और विस्तारित कर दी गई थी ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 325 (अ), तारीख 17 मई, 1980 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 17 मई, 1981 तक और विस्तारित कर दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 17 मई, 1982 तक और विस्तारित कर दी जानी चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-चक्ष की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि 17 मई, 1982 तक और विस्तारित करती है ।

[फा. सं. 4 (1)/77-सीयूएस]

चन्द्र किशोर मोदी, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF INDUSTRY

## (Department of Industrial Development)

## ORDER

New Delhi, the 16th May, 1981

**S.O. 371(E).**—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Deptt. of Industrial Development) No. S.O. 354(E), dated the 25th May, 1978, (hereinafter referred to as the said Order), the Central

Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other, instruments in force immediately before the 25th May, 1978 to which the industrial undertaking known as Bengal Immunity Company Limited, Calcutta or the company owning such undertaking is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking or company, shall remain suspended upto 18th May, 1979 and that all rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period ;

And, whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) S.O. No. 166(E), dated the 29th March, 1979, the duration of the said Order was extended for a further period upto the 17th May, 1980;

And whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) S.O. No. 325(E), dated the 17th May, 1980 the duration of the said Order was extended for a further period upto the 17th May, 1981.

And whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto the 17th May, 1981;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order for a further period upto the 17th May, 1982.

[F. No. 4(1) 77-CUS]
C. K. MODI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981